**Request for Income Tax Exemption for Donation to Hospital**

1526. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of Kamataka has approached Government for income tax exemption for donation given to their proposed super specialist Hospital at Bangalore;

(b) if so, whether Government has considered the request, if not, the reasons therefor; and

(c) Whether Government will consider giving 100% exemption from income tax as a special case, for this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes.

(b) Yes. Recognition under Section 80G was granted on 05-05-1995.

(c) If any such proposal is received, it will be considered on merit.

**मध्य प्रदेश में आयकर विवरणी प्रपत्र II की कमी**

1527. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि मध्य प्रदेश में आयकर विवरणी प्रपत्र II, विवरणी भरने की अन्तिम तिथि एक उपलब्ध नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि वे विवरणी प्रपत्र 31 अक्तूबर, 1995 तक उपलब्ध नहीं थे, तो विवरणी प्रपत्र भरने की तिथि न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों में कुछ परिवर्तनों के कारण विवरण फार्म आई टी एस-2 को संशोधित करना पड़ा था। संशोधित फार्म-2 को 25-8-95 की अधिसूचना सं. 9847 द्वारा अधिसूचित किया गया था। कर निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए आई टी एस-2 में आय विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31-8-95 से बढ़ाकर 31-10-95 कर दी गई थी। देश में अधिकांश आयकर कार्यालयों में सभी प्रकार के विवरणी फार्म उपलब्ध थे। परन्तु मध्य प्रदेश प्रभार के संबंध में यह सूचना दी गई थी कि आयकर आयुक्त, भोपाल के प्रभार में 31-10-95 तक आई टी एस फार्म-2 की कमी थी यद्यपि आयकर आयुक्त, जबलपुर के प्रभार में यह फार्म उपलब्ध थे। विवरणी फार्म को प्राईवेट रूप से मुद्रित करने की अनुमति दी गई हैं और यह स्थानीय बाजार में उपलब्ध थे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया हैं कि विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राईवेट रूप से मुद्रित किए गए फार्मो में अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए करदाताओं को स्वतंत्रता दी गई हैं। इसके अलावा 26 और 27 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था कि कर-निर्धारण वर्ष 199495 के लिए प्रयुक्त किए गए आई टी एस फार्म-2 भी वैध हैं और उसका उपयोग कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए किया जा सकता हैं।

**Agreement with Israel in Textile Sector**

1528. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has entered into an agreement with Israel for setting up a task force to work out detailed strategy for cooperation in the textile sector; and

(b) if so, the details of areas identified in the textile sector and to what extent the joint ventures would be beneficial to the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) During the visit of the Minister of Industry andTrade of Israel to India during December, 1994, it was, inter-alia, agreed by both sides that there were possibilities for joint ventures in the area of textiles in Israel for exports to countries like USA and the European Union with which Israel has Free Trade Agreements, subject to the relevant rules of origin.

**Ground Handling Contract of Foreign Airlines**

1529. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:
Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India has lost the contract of Ground Handling of foreign